रघुनाथपुरा – गोपाल प्र.सं. 55/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस हेतु दिनांक 23.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर
23.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस हेतु दिनांक 20.11.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर
20.11.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.11.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
28.11.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट......स्वीकार........ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजरब अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55/2019

1 खुदाबक्श पुत्र श्री नवाब जाति मुसलमान निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र श्री बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर उनवानी आवेदन पत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल बनाम खुदाबक्स आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.संख्या 88/2017 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—28.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 971, 972 वाके ग्राम खाटूश्यामजी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट के उपरोक्त खसरा नम्बरान के सींवाजोड़ पड़ोसी अपीलान्ट है जिसके एकल खातेदारी के उपरोक्त भूमियों के खसरा नम्बर 944, 945, 964, 965, 966/2967, 968 कुल कीता 7 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर है। दोनों पड़ौसीयों में आपस में खेत की सीमा का विवाद समाप्त करने के लिए आपसी सहमति से दिनांक 22.05.2015 को तहसीलदार दांतारामगढ़ के यहां सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 23.11.2016 को तहसीलदार दांतारामगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./15/4220 एवं 4221 दिनांक 22.05.2015 की पालना में पटवार हल्का खाटूश्यामजी द्वारा दोनों खातेदारी की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया। दौराने सीमाज्ञान पटवारी ने दोनों पक्षों का बताया कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्ब 944 व 968 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 971 में दबी हुई है। रेस्पोडेन्ट ने पटवारी एवं उपस्थित मौतबिरान के सामने ही उक्त दबी हुई भूमि अपीलान्ट को नाप कर देने की स्वीकारोक्ति की तथा उसकी समय दोनों पक्षकारों की सहमति से पत्थरगढ़ी करवाए जाने की बात भी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने विश्वास में आकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्थरगढ़ी का इन्तजार करता रहा, तथा उक्त सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का उद्देश्य विफल करने के लिए रेस्पोडेन्ट ने मेलाफाइड आशय से यह प्रकरण दायर कर दिया, जिससे पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं हो सके। उपरोक्त समस्त तथ्य अपीलान्ट ने अपनी प्रतिरक्षा में उठाए थे, परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर करना तो दुर अपने आदेश में अंकित तक नहीं किया, तथा बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी वादकारण उत्पन्न हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानकर प्रत्यक्ष रूप से पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को बाधित एवं लंबित कर दिया, जिससे आदेश अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष खुदाबक्श बनाम गोपाल के नाम से पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन अ. धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम विचाराधीन है, उक्त प्रकरण की कार्यवाही चुनौतीग्रस्त आदेश से अप्रत्यक्ष रूप से स्थगित हो गई, तथा पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद बाधित हो गया। इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन का निस्तारण करने में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के तीन आधारभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचार तक नहीं किया तथा अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवेदन स्वीकार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में है या नही। विचारण न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण प्रकरण का निस्तारण मात्र गांव की चौपाल पर निर्णय पारित किए जाते है उसके अनुसार कर दिया। विचारण न्यायालय ने मनमाना निर्णय पारित किया है जिससे निर्णय अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों का तथा रिकार्ड के विषय में कोई फाईडिंग नहीं दी तथा ना ही दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण किया तथा आवेदन का निर्णय नहीं कर मात्र औपचारिक निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि है। आवेदन का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ है। आवेदन में वर्णित भूमियां प्रार्थी की एकल खातेदारी की होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं विवादास्पद कृषि आराजियात में आवेदक के कब्जे काश्त में अप्रार्थी द्वारा कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी कर भूमियों की मौका स्थिति तब्दील करने से अपूर्णीय क्षति भी स्वयं प्रार्थी/आवेदक को ही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद विवादित भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि है। आवेदन का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ है। आवेदन में वर्णित भूमियां प्रार्थी की एकल खातेदारी की होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं विवादास्पद कृषि आराजियात में आवेदक के कब्जे काश्त में अप्रार्थी द्वारा कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी कर भूमियों की मौका स्थिति तब्दील करने से अपूर्णीय क्षति भी स्वयं प्रार्थी/आवेदक को ही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद विवादित भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर